कार्यवाही करे तथा आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेश पर विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवंम अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.07.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

22.7.25

पत्रावली पेश हुई। बहुतायत फरिकेन उपस्थित, [illegible] अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/भ्रमण पर है। पत्रावली मय आदेशानुसार दिनांक 23/9/25 को पेश हो।

रीडर

1/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली जल्द सुनवाई हेतु तलब की गई। वकील वादी ने निवेदन किया की पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है। अतः वादिया इस प्रार्थना पत्र को आगे नही चलाने के सिद्ध करना चाहती है। प्रार्थिया की पहचान वकील वादी द्वारा की गई। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर सिद्ध कर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सुशीला

पूनम

अनुपस्थित

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.09 15:51:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म

हुक्म